बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–

एस0 ओ0 ....बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संख्या– 61/1986) की धारा– 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम संसाधन विभाग में एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या – 1/सी0एल0– 10–03/2015 श्र0सं0– 348 दिनांक 03.02.15 में आंशिक संशोधन करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित तालिका के स्तम्भ– 2 में दर्शाये गये पदाधिकारियों के अतिरिक्त क्रमांक–18 में अंकित पदाधिकारी/ कर्मचारी को भी "निरीक्षक" नियुक्त करते हैं तथा निदेश देते हैं कि उक्त निरीक्षक उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी प्रतिष्ठानों (कारखाना और गैर कारखाना) के लिए अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे।

क्रमांक	पदाधिकारी /कर्मचारी का पदनाम	प्राधिकृत क्षेत्र
1	2	3
	श्रम विभाग के पदाधिकारी	
1.	श्रमायुक्त, बिहार	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
2.	निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड कर
3.	सभी संयुक्त श्रमायुक्त	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
4.	सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0 सहित)	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड कर
5.	मुख्य कारखाना निरीक्षक /सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठान
6.	सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0 सहित)	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड कर
7.	सभी कारखाना निरीक्षक	केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठान
8.	सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0 सहित)	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड कर
9.	सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	तदैव
	जिला /अनुमंडल प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी	
10.	सभी जिला पदाधिकारी	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
11.	सभी उप विकास आयुक्त	तदैव
12.	सभी अनुमंडल पदाधिकारी	केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठान को छोडकर
13.	सभी अंचलाधिकारी	तदैव
14.	सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी	तदैव
	स्थानीय निकाय के पदाधिकारी	
15.	नगर आयुक्त /अपर नगर आयुक्त, सभी नगर निगम	तदैव
16.	सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर	तदैव

	पंचायत / नगर परिषद	
17.	सभी ग्राम पंचायत सचिव	तदैव
18.*	सभी चौकीदार	तदैव
	पर्यवेक्षीय पदाधिकारी	
19.	सभी अंचल निरीक्षक	तदैव
20.	सभी ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	तदैव
21.	सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	तदैव

ज्ञाप संख्या–1 / सी0एल0–10–03 / 2015श्र0सं0 – 24 पटना, दिनांक 4-1-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (बाल श्रमिक प्रकोष्ठ) भारत सरकार, नई दिल्ली / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी संयुक्त श्रमायुक्त / निदेशक, कृषि, श्रमिक, बिहार, पटना / सभी उप श्रमायुक्त / सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) / सभी अनुमंडलाधिकारी / सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक / सभी सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित / सभी श्रम अधीक्षक / सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक) / सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / सचिव, बिहार इन्डस्ट्रीज एशोसिएशन सिन्हा लाईब्रेरी रोड़, पटना / सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कोमर्स, जजेज कोर्ट रोड़, पटना / प्रभारी पदाधिकारी की E- गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित। अनुरोध है कि अधिसूचना भारत के राजपत्र के असाधारण अंक मे प्रकाशित करावें तथा उसकी 1,000 प्रति विभाग को उपलब्ध करावें।

(संख्या 1 / सी0एल0–10–03 / 2015) 24
बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह0) 4.1.16
सरकार के अवर सचिव।
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञाप संख्या–1 / सी0एल0–10–03 / 2015श्र0सं0 – 24 पटना, दिनांक 4-1-16

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी नगर आयुक्त / सभी नगर अपर आयुक्त / सभी अंचलाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी कार्यपालक पदाधिकारी / सभी अंचल निरीक्षक / सभी ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक / सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / सभी ग्राम पंचायत सचिव एवं सभी चौकीदार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह0) 4.1.16
सरकार के अवर सचिव।
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञाप संख्या–1 / सी0एल0–10–03 / 2015श्र0सं0 – 24 पटना, दिनांक 4-1-16

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ह0) 4.1.16
सरकार के अवर सचिव।
श्रम संसाधन विभाग।